ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-8* September- 2017
Innovation The Research Concept

शिक्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मानव अधिकार शिक्षा के उपागम एवं प्रविधियाँ

अनीता रानी गुप्ता
विभागाध्यक्ष,
शिक्षक– शिक्षा स्नातकोत्तर विभाग,
आई0पी0 कॉलिज,
द्वितीय परिसर,
बुलन्दशहर

कविता तिवारी
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
शिक्षक– शिक्षा स्नातकोत्तर विभाग,
आई0पी0 कॉलिज,
द्वितीय परिसर,
बुलन्दशहर

सारांश

वर्तमान में मानवाधिकार शिक्षा राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय विषय बन चुकी है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी मानवाधिकारों के घोषणा पत्र की प्रस्तावना में कहा गया है–''विश्व के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के मानवाधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं के अधिकारी हैं।'' इस घोषणा पत्र के अनुच्छेद 26 में कहा गया है–''प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। ''मानव अधिकारों का ज्ञान, समझ उन्हें प्रयोग करने के लिए कौशल एवं उनके उल्लघंन के प्रति जागरूकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो चुकी है। मानवाधिकार शिक्षा का मुख्य केन्द्र बिन्दु मानवाधिकार के मानक और मूल्यों के ज्ञान एवं प्रयोग कौशल का विकास है। मानवाधिकार शिक्षा में तीन उपगमों का प्रयोग किया जाता है–1. अन्तर्राष्ट्रीय उपागम 2. राष्ट्रीय उपागम
3. तुलनात्मक उपागम

प्रस्तुत लेख ''शिक्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मानवाधिकार शिक्षा के उपागम एवं प्राविधियों'' से सम्बन्धित है। शिक्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मानवाधिकार शिक्षा के अग्रांकित लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित किये जा सकते हैं–

1. अभिवृत्ति परिवर्तन
2. मूल्य स्पष्टीकरण
3. संज्ञानात्मक कौशल विकास
4. एकजुटतापूर्ण मनोवृत्ति विकास
5. मानवाधिकार सशक्तिकरण हेतु सामाजिक सहभागिता कार्यक्रमों का आयोजन

उपरोक्त शैक्षिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विविध शिक्षण प्रविधियों का विवरण इस लेख में समाहित है, जैसे–

1. व्याख्यान प्रविधि
2. सामूहिक विचार विमर्श
3. वाद–विवाद
4. मस्तिष्क उत्प्लावन
5. सेमिनार
6. केस स्टडी
7. भूमिका निर्वहन
8. सिम्पोजिया
9. प्रदत्त कार्य
10. परियोजना प्रविधि

इन प्रविधियों का शिक्षक–शिक्षा में प्रयोग करते हुए प्रशिक्षुओं के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोशारीरिक विकास को गति व दिशा प्रदान करते हुए मानवाधिकार शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्य प्राप्त किये जा सकते हैं।

मुख्य शब्द : मानवाधिकार शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय उपागम, राष्ट्रीय उपागम

प्रस्तावना

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुखःभाग् भवेत्।।

श्लोक में वैदिक काल से ही प्रत्येक मानव के सुख और संतोषपूर्ण जीवन का भाव अभिव्यक्त होता है। मानव अधिकार नवीन अवधारणा नहीं है, बल्कि इसकी जड़े, अतीत की गहराइयों में छिपी हैं। जो भी मानव जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसे अपना जीवन संतोष, सुरक्षा और आनन्दपूर्वक व्यतीत करने का अधिकार मिल जाता है। ये अधिकार मानव की नैसर्गिकता में निहित होते हैं, और उसके मानवोचित जीवन की आवश्यकता होते हैं। समाज और

सरकार का ये उत्तर दायित्व है, कि वह प्रत्येक व्यक्ति को सभी बुनियादी सुविधायें प्रदान करें, उपयुक्त पर्यावरण का निर्माण करें ताकि प्रत्येक मानव अपना जीवन स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षापूर्वक व्यतीत कर सके। मां के गर्भ से लेकर संपूर्ण जीवन काल में विकास के प्रत्येक सोपान पर ये मानवाधिकार प्रकृति प्रदत्त हैं। भारतीय दर्शन की प्रत्येक शाखा ''मुक्ति'' या ''मोक्ष'' की बात करती है, जिसे आधार मान कर शासको ंने वैयक्तिक स्वतंत्रता और सहनशीलता को अपनी राज्यनीति का आधार बनाया।

मानवाधिकार के बिना सतत् विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसके जड़ें प्रत्येक समाज व संस्कृति के प्रत्येक व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता व गौरव में गहरी समाहित हैं। 10 दिसम्बर 1948 को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र और कार्यक्रमों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की सरकारों ने केवल नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के रूप में स्वीकार किया और कई मानवीय अधिकारों जैसे भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकारों को शामिल नहीं किया, जबकि ऐतिहासिक पृष्टभूमि में मानवाधिकारों को नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक सामाजिक, व सांस्कृतिक अधिकार के रूप में देखा जा सकता है।

भारत में भी 10 अप्रैल 1979 को मानवाधिकारों को स्वीकृति प्रदान की गई व सितम्बर 1993 में मानवाधिकार अध्यादेश पारित कर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। यद्यपि संविधान मे ंमूल अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों में मानवाधिकारों को संरक्षित करने वाले अधिकार व कर्तव्य वर्णित हैं।

मानव अधिकार एवं शिक्षा

10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणापत्र ;न्चम्त्द्ध में संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अनमोल तोहफा देते हुये घोषणा की कि इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को समान गौरव प्राप्त है। संयुक्तराष्ट्र संघ ने इसे सभी राष्ट्रों के सभी लोगों की मानक उपलब्धि के रूप में घोषित किया, और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इस उद्घोषणा को हमेशा अपने मन में रखते हुये शिक्षा व प्रशिक्षण द्वारा इन अधिकारों व स्वतंत्रता के गौरव को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। यद्यपि संसार के अधिकतर लोग, जिनके लिये इस अधिकारों की घोषणा की गई, अभी तक भी इनसे अनभिज्ञ हैं, आज भी उनमें जागरूकता का आभाव है। भारतीय दर्शन में विद्या को मुक्ति का साधन माना गया है, और वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में यह शिक्षा मानवाधिकार का केन्द्रीय साधन बन चुकी है, शिक्षा अधिगम का आधार है और यही शिक्षा किसी व्यक्ति, समान व राष्ट्र के विकास की कुंजी है। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था वहां के समाज की प्रकृति, अकांक्षा एवं जीवन लक्ष्यों को अभिव्यक्त करती है। मानवाधिकार के सभी दस्तावेज शिक्षा को प्रमुख स्थान देते हैं, साथ ही ये मानवाधिकार को बढ़ावा देने में शिक्षा के महत्व पर बल भी देते हैं। 1993 में कनाडा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने शिक्षा व मानवाधिकार पर कार्ययोजना तैयार की जिसमें प्रजातंत्र व मानवाधिकार शिक्षा के अभ्यास पर बल दिया गया, साथ ही इसे विद्यालयीन शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल दिया।

भारत में विभिन्न शिक्षा कमीशन और शिक्षा नीतियों ने शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में अभिव्यक्त किया है व भारत में शिक्षा के विकास व पुनर्संचना के लिये इसे आवश्यक माना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सामाजिक व नैतिक मूल्यों के विकास के लिये शिक्षा को सशक्त साधन के रूप में स्वीकार किया है और शिक्षा में मूल्य शिक्षा पर बल दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भारत के सांस्कृतिक विविधतापूर्ण समाज में शिक्षा राष्ट्रीय एकता व अखण्डता की दिशा में सार्वभौमिक व सनातन मूल्योन्मुखी होनी चाहिए।

1985 में यू0जी0सी0 ने स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सभी विषयों में मानवाधिकार शिक्षा व शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लूप्रिन्ट तैयार किया। इस ब्लूप्रिन्ट में प्रचलित पाठ्यक्रम की पुर्नसंरचना व मानवाधिकार पर नये पाठ्यक्रम व आधार पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये। 80 व 90 के दशक में कुछ पाठ्यक्रमों में मानवाधिकार शिक्षा का समावेश दिखाई दिया। कुछ विश्वविद्यालयों के कानून व राजनीतिक विज्ञान विभागों ने ऐच्छिक विषय के रूप में मानवाधिकार शिक्षा को प्रारम्भ किया। भारत में मानवाधिकार विषय पर शिक्षा आज भी सीमित है, क्योंकि अभी भी इसकी शैक्षिक सार्थकता वह स्थान नही पा सकी जो कि इसे मिलना चाहिए।

मानव अधिकार शिक्षा के उपागम

प्रत्येक शिक्षक व विद्यार्थी को अपने बेहतर जीवन स्तर, गौरव स्वतंत्रता व सामाजिक प्रगति के रूप में मानवाधिकार शिक्षा के सार्वभौमिक तत्वों को समझने व उन्हे आत्मसात करने की महती आवश्यकता है। यद्यपि मानवाधिकार शिक्षा सामान्य शिक्षा का एकीकृत अंग बन चुकी है, अन्य विषयों के साथ इसे एकीकृत किये जाने की प्रक्रिया चल रही है। सामाजिक विषयों के रूप में विशेष रूप से इसका एकीकृत होना आवश्यक है। उभरते हुए वैश्विक शिक्षा दर्शन ने अपने कई दस्तावेजों व नीतियों में मानवाधिकार शिक्षा की घोषणा की है जिसमें मानवाधिकार के लिये मानवाधिकार की शिक्षा की आवश्यकता व कार्ययोजना तैयार करने पर बल दिया गया है। मानवाधिकार शिक्षा के मुख्य दो उपागम सामने आते हैंः

मानव अधिकार की शिक्षा

इसके अन्तर्गत मानवाधिकारों के मानक व मूल्यों के ज्ञान, समझ, कौशल विकास व अनुमूल्यन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जा सकती है, जिसमें विषय वस्तु के रूप में मानवाधिकार का उद्गम, इतिहास, दस्तावेज व नीतियों, अन्तर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक घोषणापत्र की विषयवस्तु, मानवाधिकारों के वास्तवीकरण और अभ्यास को शामिल किया जा सकता है।

मानव अधिकार के लिये शिक्षा

इसके अन्तर्गत गौरव , उत्तरदायित्व , एकजुटता पूर्ण, मनोवृत्ति का विकास व सामाजिक सशक्तिकरण के

उद्देश्यों को निर्धारित कर सामाजिक व सामुदायिक जीवन में भागीदारी का रूपान्तरण, एकजुटता, दूसरों के अधिकारों की समझ व सम्मान, प्रचलित मानकों व आधारभूत अधिकारों की पूर्ति के मध्य द्वन्द व तनाव को विषयवस्तु बनाया जा सकता है।

सामान्यत सभी मानवाधिकार कार्यक्रम अधिकतर मानवाधिकार की शिक्षा के उपागम को प्रमुखता देते हैं, इसके पश्चात वे मानवाधिकार के लिये शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। मानवाधिकार शिक्षा की विषयवस्तु के प्रत्यक्ष शिक्षण अधिगम के साथ–साथ कई अप्रत्यक्ष तत्व जैसे – शिक्षण अधिगम पर्यावरण, संस्था की संगठनात्मक संरचना भी इस शिक्षा को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। इसी के साथ सामाजिक व सामुदायिक पर्यावरण में प्रजातांत्रिक संरचना व भागीदारी भी अप्रत्यक्ष अधिगम के माध्यम से मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करती है।

शिक्षा में मानव अधिकार

मानव अधिकार शिक्षा मानव अधिकार के ज्ञान, समझ और कौशलों को अर्जित करना ही नहीं है, अपितु मानव अधिकार के लिये, लोगों की मानवाधिकार के महत्व को अनुभव करने में सहायता करने, मानवाधिकारों को उनके जीवन के साथ एकीकृत करने की शिक्षा भी है। स्थानीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के अधिकारों को सुरक्षित करने, बढ़ाने एवं कार्य करने हेतु शिक्षा भी हैं ये व्यक्ति और समुदाय दोनों की जीवन शैली में सुधार लाकर, उसके स्तर को ऊँचा उठाने में प्रत्यक्ष योगदान देती है।

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य शिक्षा को प्रत्येक बालक, प्रौढ़, व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार के रूप में शामिल कर चुके हैं, ये संवैधानिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को लिंग, समाज, संस्कृति, भाषा, धर्म व अन्य किसी भी भेदभाव के बिना प्रदान किया गया है। जहाँ तक अल्पसंख्यक शिक्षा को एक बुनियादी हकीकत माना गया है, वही आज भी कई समूह ऐसे हैं जो शिक्षा की पहुँच से दूर हैं, यहां तक कि उनकी निम्नतम् आवश्यकताओं और गुणवत्ता पूर्ण जीवन के लिये आवश्यक किसी भी प्रकार की निम्नतम शिक्षा से भी अछूते हैं। इन समूहों में यौन शोषित बच्चे, विस्थापित, शरणार्थी, घरेलू हिंसा के शिकार, अनाथ, खानाबदोश, कार्य करने वाले बच्चे आदि शामिल हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में मानवाधिकार जागरूकता बढ़ाने एवं मानवाधिकार साक्षरता के प्रसार को एक उपाय माना है। एन0सी0एफ0–2000 ने विद्यालयीन शिक्षा में बच्चों में मानवाधिकार के प्रति सम्मान व कर्तव्य को विकसित करने की परिकल्पना की। एन0सी0एफ0–2005 ने अलग विषय के रूप में मानवाधिकार शिक्षा प्रदान करने के बजाय सभी विषयों के साथ एकीकृत करने पर बल दिया। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में मानवाधिकार शिक्षा को अलग विषय के रूप में प्रदान न करके विषयों में एकीकृत किये जाने की प्रक्रिया चल रही है।

यू0जी0सी0 के अनुसार मानवाधिकार शिक्षा को, किसी भी शैक्षिक अनुशासन से अलग नहीं किया जा सकता, अपितु यूजीसी इसे अर्न्तानुशासनात्मक उपागम के रूप में प्रस्तावित कर चुकी है, अतः मानवाधिकार शिक्षा, शिक्षा में संपूर्णता के साथ समावेशित संप्रत्यय है।

शिक्षक शिक्षा में मानव अधिकार

संसार के प्रत्येक मानव को अपने और दूसरों के अधिकार जानना चाहिए। तभी वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारयुक्त संस्कृति का विकास हो सकेगा। शिक्षक ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व उठाता है, अतः शिक्षक को अपनी शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में मानव अधिकार शिक्षा के पक्ष को शामिल करना चाहिए। शिक्षक किसी भी तरह की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, किसी भी समाज में यदि शिक्षक की तरफ पर्याप्त ध्यान न दिया जाये तो वहां की शिक्षा की शक्ति समाप्त हो जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने शिक्षक की सैद्धान्तिक भूमिका को परिभाषित करते हुए कहा है कि–शिक्षक की सैद्धान्तिक भूमिका हमेशा उसके विद्यार्थियों के शिक्षण और निर्देशन की हैं यह भूमिका वह कक्षा शिक्षण व टयूटोरियल के माध्यम से ही नहीं निभाता अपितु व्यक्तिगत संपर्क व अन्य तरीकों से भी निभाता है। इस सम्बन्ध में कोठारी कमीशन (1966) ने कहा कि कोई भी राष्ट्र उसके शिक्षकों के स्तर से अधिक ऊंचा नहीं उठ सकता। एक शिक्षक दो भूमिकाएं साथ–साथ निभाता है– एक वह, जहाँ वह सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराओं का सतत् संरक्षण करता है, दूसरी भूमिका राष्ट्रीय व मानवीय वांछनीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक परिवर्तनों को सृजित करने में निभाता है। अतः किसी भी शिक्षक को प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्रीय अखण्डता के गौरव हेतु न्याय, स्वतन्त्रता, समानता व भाईचारे के संवैधानिक लक्ष्यों के प्रति अवगत होना चाहिए। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में मानवाधिकार शिक्षा का समावेश होना चाहिए।

शिक्षक शिक्षा में बहुअनुशासनात्मक उपागम के रूप में मानव अधिकार शिक्षा को पाठयक्रम में शामिल किया जा सकता है। इस उपागम के रूप में इसे पाठयक्रम के सभी विषयों शिक्षा–दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास और अन्य शिक्षाशास्त्रीय विषयों, ऐच्छिक विषयों में एकीकृत करके प्रदान किया जा सकता है।

इसे शिक्षक शिक्षा के सभी पाठ्यक्रमों के पुर्नउन्मुखीकरण के माध्यम से अपनाया जा सकता है। इस उपागम में मानवाधिकार प्रचलित पाठ्यक्रम में अलग से न जोड़ कर उसके प्रत्येक कोर्स के केन्द्रीभूत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी उपागम को अपनाया जाये लेकिन प्रत्येक का फोकस क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय उपागम होना चाहिए। इन तीनों स्तरों पर प्रयुक्त एकीकृत उपागम ही मानवाधिकार शिक्षा की समस्याओं का समाधान कर सकता है। उदाहरणार्थ आज जीवन विज्ञान में क्लोनिंग जीन मेनीपुलेशन, इनविट्रोफार्टिलाइजेशन के दौरान परिस्थितिवश प्रयुक्त सैरोगेसी आदि के कारण कई नैतिक समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं। जिनका समाधान नैतिक मूल्यों को जाने बिना और राष्टीय्र व अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के मानवाधिकार समझौतों को जाने समझे बिना नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कई उदाहरण जिनमें धार्मिक विश्वासों के तहत्

कई पीढ़ियों से ऐसी कुरीतियां प्रचलित हैं जिनके द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन होता रहा है। ऐसे कई उदाहरण को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकार में नैतिक चेतना पर बल दिया जाना आवश्यक हो जाता है, साथ ही सामाजिक संदर्भ में मानवाधिकार शिक्षण व शोध होना चाहिए।

अतः देश में मानवाधिकार संस्कृति के विकास के लिये मानवाधिकार शिक्षण व शोध शिक्षक शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। 1990 में दिल्ली में आयोजित तृतीय मानवाधिकार वर्ल्ड कॉंग्रेस ने भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में मानवाधिकार शिक्षा को शामिल करने पर बल दिया था।

एन0सी0टी0ई0 ने द्विवर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम में आधारभूत संवैधानिक अधिकारों व कर्तव्यों तथा स्वतन्त्रता, न्याय, समानता, बन्धुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा को शामिल किया है। इसी के साथ–साथ कुछ विषयों में भी मानव अधिकार शिक्षा को अप्रत्यक्ष उपागम के रूप में एकीकृत किया गया है।

मानव अधिकार शिक्षा की शिक्षण प्रविधियाँ

मानव अधिकार शिक्षा को शिक्षण संस्थाओं में प्रजातान्त्रिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही इसे अन्य पाठयसहगामी क्रियाओं से संपूरित करना चाहिए। मानव अधिकार शिक्षा की विषयवस्तु को सहभागितापूर्ण शिक्षण–अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करके अधिक प्रभावशाली तरीके से सिखाया जा सकता है। अतः शिक्षकों और सेवा पूर्व प्रशिक्षणार्थियों को मानव अधिकार शिक्षण हेतु नवीन उपागम और नवीन शिक्षण प्राविधियां आवश्यक रूप से सीखनी व प्रयोग करनी चाहिए, ताकि मानवअधिकार शिक्षा के उद्देश्य पूर्णता के साथ प्राप्त हो। (UDHR) मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के द्वारा जारी दस्तावेजों को विद्यार्थी और समुदाय तक पहुंचाने के लिये केवल संज्ञानात्मक कौशल विकसित करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इसमें विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास व मानव अधिकार युक्त संस्कृति के विकास के लिये नवीन उपागमों व प्रविधियों के प्रयोग की अति आवश्यकता है। इन प्रविधियों में सहभागिता पूर्ण व सार्थक–संवाद प्रविधियाँ अधिक प्रभावशाली होती है। शिक्षक–शिक्षा अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नांकित रोचक व प्रभावशाली प्रविधियों का प्रयोग हो सकता है।

मस्तिष्क उत्प्लावन प्रविधि

इसे मानव अधिकार की कई वास्तविक समस्याओं के दृष्टांत देते हुए प्रयोग किया जा सकता है, और समस्या का समाधान खोजने के संज्ञानात्मक व सृजनात्मक कौशल का विकास किया जा सकता है। यह प्रविधि विद्यार्थी में चिन्तन का विकास करती हैं।

सामूहिक विचार–विमर्श प्रविधि

इसमें समूह को किसी घटना, तथ्य, नीति, प्रकरण पर चर्चा करने के लिये अभिप्रेरित किया जाता है। विचार–विमर्श को दिशा देने और नियंत्रित करने का कार्य शिक्षक का होता है। इस प्रविधि में विद्यार्थी व शिक्षक दोनों समान रूप से सक्रिय होकर समस्या पर बात करते हैं।

अनुसंधान प्रविधि

इस प्रविधि के अन्तर्गत शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष कोई समस्या रखता है। विद्यार्थी इस समस्या से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य करते हैं, और समस्या के समाधान हेतु परिकल्पना निर्माण, आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण, विश्लेषण करते हुए समाधान तक पहुंचते हैं।

केस अध्ययन प्रविधि

इस प्रविधि में किसी ऐतिहासिक अथवा वर्तमान समस्या को केस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह केस विद्यार्थी के वास्तविक अनुभव से सम्बन्धित होना चाहिए, तथा यह परिकल्पनात्मक भी हो सकता हैं। इस केस का अध्ययन विद्यार्थी सहभागितापूर्ण तरीके से सम्पन्न करते हैं।

खोज प्रविधि

इस रोचक प्रविधि में शिक्षक लघु फिल्म, फोटो, कहानी या कविता या घटना के माध्यम से समस्या विद्यार्थी के समक्ष रखता है, और विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिये प्रेरित करता हैं। प्रश्न समस्या के कारण और समाधान से सम्बन्धित होते हैं, जिनका उत्तर शिक्षक हाँ/नहीं में देता है। इस तरह प्रश्न पूछ कर विद्यार्थी समस्या के समाधान की खोज करते हैं।

कहानी व दृष्टांत प्रविधि

इस प्रविधि में मानवाधिकार का इतिहास व वर्तमान घटनाऐं कहानी या दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत की जाती है। यह रोचक व आसानी से समझ में आने वाली प्रविधि है।

भूमिका निर्वहन प्रविधि

इसके अन्तर्गत मानव अधिकार की ऐसी समस्या का चयन किया जाता है, जो जीवन से सम्बन्धित वास्तविक घटनायें होती हैं। घटना के अनुसार छात्रों को भूमिका निभानी होती हैं। इस प्रविधि से मनोरंजन के साथ–साथ संज्ञानात्मक कौशल व उचित मनोवृत्ति परिवर्तन होता है।

सामुदायिक साक्षात्कार प्रविधि

इस प्रविधि के अन्तर्गत विद्यार्थी मानव अधिकार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों/समूहों/समुदायों में जा कर सामुदायिक साक्षात्कार ले कर जानकारी एकत्र करते हैं। इस जानकारी के आधार पर समस्या के कारण व समाधान तक पहुंचते हैं। इस प्रविधि का प्रयोग मानवाधिकार शिक्षा के प्रसार में किया जाता हैं।

सर्जनात्मक अभिव्यक्ति प्रविधि

विद्यार्थी मानव अधिकार से सम्बन्धित किसी घटना या समस्या पर कलात्मक अभिव्यक्ति तैयार करते हैं, जैसे– ड्राइंग, पेन्टिंग, पोस्टर निर्माण अथवा गीत/कविता लेखन आदि।

शासकीय पत्र लेखन

मानव अधिकार शिक्षा की विषय वस्तु में कुछ विषयवस्तु ऐसी है, जहां विद्यार्थियों में पत्र लेखन कौशल का विकास करना होता हैं। इस प्रविधि के प्रयोग से शासकीय पत्र लेखन सिखाया जा सकता हैं।

वाद विवाद प्रविधि

कक्षा शिक्षण में वाद–विवाद को प्रविधि के रूप में प्रयुक्त करके प्रभावशाली तरीके से मानवाधिकार की शिक्षा दी जा सकती हैं। इस प्रविधि में मानव अधिकार से सम्बन्धित मुद्दों, समस्याओं के समाधान हेतु पक्ष व विपक्ष में अपने तर्क रखने होते हैं। ये विधि भी संज्ञानात्मक कौशल और अभिवृत्ति का सकारात्मक विकास करती है।

नाटक

किसी समस्या अथवा घटना को लेकर नाटक की स्क्रिप्ट तैयार करके विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। पर्याप्त तैयारी के पश्चात् नाटक का प्रस्तुतीकरण किया जाता है। मानव अधिकार की ऐतिहासिक व वर्तमान घटनाओं से सम्बन्धित समस्याओं को नाटक के रूप में प्रस्तुत कर जानकारी, अभिवृत्ति परिवर्तन, मूल्य स्पष्टीकरण व सशक्तिकरण के लिये कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण किया जा सकता है।

दत्तकार्य प्रविधि

मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणापत्र की विषय वस्तु पर विद्यार्थियों को दत्तकार्य प्रदान किया जा सकता हैं। इस प्रविधि का प्रयोग करके विषय वस्तु के सैद्धान्तिक, प्रायोगिक व व्यवहारिक पक्षों का विकास किया जा सकता हैं।

प्रयोजना प्रविधि

मानवाधिकार शिक्षा की सहभागिता पूर्ण शिक्षण करने की ये प्रभावशाली प्रविधि है। इस प्रविधि में समाज व समुदाय की किसी भी समस्या या घटना का चयन कर विद्यार्थी को प्रयोजना के रूप में प्रदान किया जा सकता हैं। प्रयोजना प्रविधि के पदों के अनुसार विद्यार्थी समस्या का समाधान करते हैं।

समस्या समाधान प्रविधि

इस प्रविधि के अन्तर्गत मानवाधिकार की समस्याओं में से समस्यायें प्रतिभागियों के समक्ष रखी जाती है, जिन पर विद्यार्थी वैयक्तिक एवं सामूहिक रूप से अथवा समूह में समाधान खोजते हैं। समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिये समस्या समाधान के पदों से हो कर गुजरते हैं। इस प्रविधि को तुलनात्मक बना कर अधिक रोचक बनाया जा सकता हैं। इसके लिये एक ही समस्या पर दो या अधिक समूह कार्य करते हैं, उन्हें पर्याप्त समय प्रदान किया जाता हैं। अंत में खुली चर्चा की जाती हैं, और देखा जाता है कि किस समूह का उपागम अधिक प्रभावशाली हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत लेख ''शिक्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मानवाधिकार शिक्षा के उपागम एवं प्राविधियों'' से सम्बन्धित है।

निष्कर्ष

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित प्रविधियों व उपागमों का प्रयोग करके मानव अधिकार शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता हैं। केवल विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल कर लेने से ही मानवाधिकार शिक्षा नहीं हो जाती, अपितु इसके लिये पर्यावरण निर्मित करना होता है। यदि हम इसे सफलतापूर्वक पूर्णता के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह अति आवश्यक हैं कि शिक्षकों को इसके लिये प्रशिक्षण प्रदान किया जाये, पर्याप्त सुविधायें दी जायें, ताकि वे मानवाधिकार शिक्षा को उपयुक्त उपागमों व प्राविधियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों में मानव अधिकार संस्कृति का विकास कर सके। संस्कृति की यह अलख औपचारिक, अनौपचारिक उपागमों के माध्यम से वैश्विक स्तर से राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर तक पहुंच सके, जिससे ऐसे वैश्विक समुदाय का विकास हो सके जहां प्रत्येक समाज व संस्कृति का प्रत्येक व्यक्ति अपने और दूसरों के गौरव को सम्मान दे सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *कौर, उमेन्द्र जीत (2006) : 21 वीं सदी में भारत में मानवाधिकारों की प्रगति का स्तर, दृष्टि–पी–विजन, इलाहाबाद पब्लिकेशन।*
2. *Bajaj Monisha (2011) : Human Right Education : Ideology, Location and Approches, Human Right Quarterly 33, 481-508.*
3. *Mahapatra, Nibedita (2012) : Role of Education in Promotion of Human Right, at wikipedia.com*
4. *NCF-2005.*
5. *www.researchgate.net.*